न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 250/2021

1. अखिलेश पुत्र श्री घीसालाल कुम्हार
2. घीसालाल पुत्र लादू कुम्हार
3. शरद कुमार पुत्र घीसालाल
4. नाबालिग शिवम पुत्र अखिलेश जरिये संरक्षक पिता

जाति कुम्हार निवासी आलोली तहसील सावर जिला अजमेर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामदयाल पुत्र श्री मोड़ू वगै0 निवासी आलोली तहसील सावर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री भंवर लाल शर्मा– वकील प्रार्थी

तहसीलदार केकड़ी सावर –पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा (1)

आदेश

दिनांक 12.3.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी स. 2 उपस्थित प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार है।

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी जो कि ग्राम मेहरूकला तहसील सावर जिला अजमेर कि जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या नया–पुराना 285–255 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 183 व 184 कुल रकबा 1.89 है. जो कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज खातेदारी है उक्त खसरा नंबर मे काबिज वर्षो से खसरा नंबर 167 की पश्चिम मेड से खसरा नंबर 183 व 184 मे आते जाते रहे है किन्तु वर्तमान मे खसरा नंबर 167 के खातेदार रामदयाल पुत्र मोड़ू मीणा ने उसकी आराजी की तारबंदी कर रास्ते को बंद कर दिया है जिसके कारण प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में जाने आने में काफी बाधा उत्पन्न होती है। जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को रास्ता दिलाया जावे प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाने हेतु निवेदन किया कि प्रार्थीगण रास्ता दिलाया जाकर रास्ते हेतु नियमानुसार शुल्क अदा कर देगें।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 1 दिनांक 15.2.2022 को तीन बार आवाज लगायी जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहा जिससे अप्रार्थी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा में अप्रार्थी स. 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुआ । पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब रिपोर्ट एंव तहसीलदार सावर का पत्रांक भू.अ./2022/2744 दिनांक 10.3.2022 अनुसार मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:57:03 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

उक्त प्रस्तुत मोका रिपोर्ट निम्नानुसार इस प्रकार है:-

1. ग्राम मेहरूकंला की जमाबन्दी स. 2075 स्थायी के खसरा नम्बर 184 रकबा 0.35, ख.न. 183 रकबा 1.54 है. किता 2 कुल रकबा 1.89 है. खातेदार अखिलेश पुत्र धीसालाल हि. 1/4, धीसालाल पुत्र लादू हि. 1/6, शरदकुमार पुत्र धीसालाल हि. 5/2, शिवम पुत्र अखिलेश कुमार नाबालिग हि. 1/6 समस्त कौम कुम्हार सा.देह आलोली खातेदार दर्ज है।
2. ग्राम मेहरूकंला की जमाबन्दी संवत 2075 स्थायी में खसरा नम्बर 167 रकबा 2.13 है. किस्म बारानी प्रथम रामदयाल पुत्र मोडू मीणा सा.आलोली खातेदार दर्ज है।
3. खातेदार अखिलेश पुत्र धीसालाल 1/7 खसरा नम्बर 193 रकबा 0.40 है. किस्म गै. मु. रास्ता से खसरा नम्बर 167 की पश्चिमी मेड से खसरा नम्बर 183 व 184 में जाना बताया गया है एंव खसरा नम्बर 167 की पश्चिमी मेड से खसरा नम्बर 183 व 184 में पहुच का रास्ता 4x60 मी = 240 वर्गमीटर का रास्ता दिया जाना है। वर्तमान के खसरा नम्बर 167 के तारबंदी हो रखी है।
4. नजरी नक्शा वर्णित है।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया । प्रार्थीगण की आराजी संख्या 183 व 184 मे जाने आने हेतु का सबसे नजदीकी रास्ता विपक्षी स. 1 के आराजी खसरा नम्बर 167 कि पश्चिमी मेड के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु आराजी नम्बर 167 भूमि में से 4 x 60 मीटर= 240 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आ रही है। नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251 ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी स. 1 के आराजी खसरा नम्बर 167 भूमि में से 4x60=240 व.मी. भूमि उपयोग में आ रही है। ग्राम मेहरूकला तहसील सावर जिला अजमेर कि हाल जमाबंदी 2072–75 के खसरा नंबर 183 व 184 मे जाने आने हेतु आराजी वर्तमान डी.एल.सी.दर 247966 रूपये अनुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि 11903 राशि प्रार्थी अप्रार्थी स. 1 को भुगतान करने के पश्चात आराजी खसरा नम्बर 167 में से 4x60=240 वर्ग.मी. भूमि को सिवायचक सार्वजनिक गै.मु. रास्ते हेंतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकड़ी (सावर) द्वारा प्रार्थीगण से उक्त 11903/– राशि प्रार्थीगण से वसूल कर अप्रार्थी स. 1 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें अप्रार्थी स. 1 द्वारा राशि प्राप्त नही करनें पर उक्त राशि जमा राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम जूनिया (मेहरूकलां) की आराजी खसरा नम्बर 183 व 184 में आने जाने के लिये रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एंव नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 12.3.2022 को खुले न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:57:03 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
(अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner